

राष्ट्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण - वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2015-16 तक

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

Ms Ujjaini Halim

Coordinator – West Bengal Election Watch

033-24836491

98302 99326

bipimse@cal.vsnl.net.in,

ujjainihalim@gmail.com

Association for Democratic Reforms

T-95, II floor, C.L. House, Gautam Nagar

New Delhi – 110 049

Email: adr@adrindia.org; Phone: 011-4165 4200

राष्ट्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2015-16 तक

प्रस्तावना

इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों का लेखा पद्धति के लिए एक निर्धारित लेखांकन मानक बनाया है। राजनीतिक दल वाणिज्यिक, गैर- औद्योगिक और गैर- व्यापारिक इकाई के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से, अन्य संस्थाओं के मानकों का लेखा स्वरूप राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होता है।

राजनीतिक दलों का लेखा पद्धति और ऑडिट रिपोर्ट में एकरूपता लाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया की वे एक प्रारूप तैयार करें। इस प्रकार, ईसीआई के अनुरोध पर आईसीएआई द्वारा फेब्रुअरी 2012 में " **Guidance note on Accounting & Auditing of political parties** " या " **Accounting guidelines** " तैयार किये गए थे। इस आदेश का उद्देश्य राजनीतिक दलों के लेखांकन और लेखा पद्धति के मानकों में सुधार और उनके वित्तीय पारदर्शिता लाना था। इन दिशा-निर्देशों का सिद्धांत राजनीतिक दलों के आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की मान्यता, माप और वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण है। इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2015-16 के बीच सात राष्ट्रीय दलों (बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बसपा, सीपीआई, सीपीएम और एआईटीसी) द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण किया गया है।

सारांश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- **‘बैलेंस शीट’ क्या है ?**

बैलेंस शीट में तीन मुख्य वित्तीय जानकारी होती है। **क)** दलों के संपत्ति में नकद, बैंक निवेश, गाड़ी, चल और अचल संपत्ति आदि ऐसे संसाधन होते हैं। **ख)** राजनीतिक दलों के कुल सम्पत्ति से कुल देनदारियों को घटा कर जो शेष है वो कैपिटल या रिज़र्व फण्ड है तथा दल इस पूंजी को अन्य सम्पत्ति या देनदारियों में उपयोग करते हैं। **ग)** राजनीतिक दलों के देनदारियों में बैंकों से ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, असुरक्षित ऋण आदि शामिल हैं।

- **राजनीतिक दलों के संपत्ति और देनदारियों/ आय और व्यय में विशेषता क्या है?**

संस्थाओं की कार्यविधि और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानक बनाया गया है। राजनीतिक दलों की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है, इसका उद्देश्य केवल लेखा पद्धति को एकरूपता से बनाये रखना है। राजनीतिक दलों के कार्यविधि के अनुसार, लेखा पद्धति के शब्दावली में थोड़ा संशोधन जैसे लाभ और हानि की जगह आय और व्यय है।

- **चुनाव आयोग की पारदर्शिता के दिशा निर्देश क्या हैं ?**

मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर कानूनी तौर पर गतिविधियों में कमी हो तो सविधान का **अनुच्छेद 324** चुनाव आयोग को पूर्ण सशक्त बनाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (एआईआर 1978 एससी 851) के द्वारा स्थापित है। चुनाव आयोग ने 2014 में सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ परामर्श करके 'पारदर्शिता दिशानिर्देश' प्रचलित की जो इन दलों पर कानूनी तौर पर

बाध्यकारी है। इन दिशानिर्देश में चुनाव आयोग ने दलों को आईसीएआई के निर्देशों (जो फरवरी, 2012 में संचारित किये गए थे) का पालन करने की सलाह दी है।


पारदर्शिता दिशानिर्देश 2014 में सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ कानूनी परामर्श करके प्रचालित किये गए और यह बाध्यकारी हैं। इन दिशानिर्देशों में राजनीतिक दलों को वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए कठोरता से पालन करने की सलाह दी है। यह दिशा निर्देश आईसीएआई द्वारा फरवरी, 2012 से परिचालित है।

• **इस रिपोर्ट में क्या जानकारी है?**

इस रिपोर्ट में वि व 2004-05 से 2015-16 के बीच सात राष्ट्रीय दलों (बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बसपा, सीपीआई, सीपीएम और एआईटीसी) द्वारा घोषित संपत्ति, देनदारियों और कैपिटल (पूंजी) का विश्लेषण किया गया है


राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित संपत्ति : वि व 2004-05 से 2015-16

- वि व 2004-05 के दौरान सात राष्ट्रीय दलों की कुल औसत संपत्ति **₹ 61.62 करोड़** थी जो वि व 2015-16 तक बढ़कर **₹ 388.45 करोड़** हो गई।
- वि व 2008-09 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय दलों की संपत्ति में **₹ 95 करोड़** की कमी देखी गई पर इसके अगले ही साल में वि व 2009-10 और 2010-11 के बीच में **₹ 156.51 करोड़** की वृद्धि हुई थी।




*The balance sheet of BSP for the FY 2006-07 is unavailable in the public domain

- भाजपा ने वि व 2004-05 के दौरान **₹ 122.93 करोड़** की संपत्ति घोषित की है जो वि व 2015-16 में **627.15%** बढ़कर **₹ 893.88 करोड़** हो गई।
- केवल दो राष्ट्रीय दलों **सीपीएम** और **तृणमूल कांग्रेस** ने ही अपनी संपत्ति में निरंतर वृद्धि दिखाई है। वि व 2004-05 से 2015-16 के बीच **सीपीएम** की संपत्ति में **383.47%** बढ़ोतरी हुई है। इन 12 वर्षों में **तृणमूल कांग्रेस** की संपत्ति में **17896%** की वृद्धि देखी गई है।




- राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित सम्पतियों के अंतर्गत 6 मुख्य प्रमुखों हैं : अचल संपत्ति, ऋण और अग्रिम, एफडीआर/जमा, टीडीएस, निवेश और अन्य सम्पतियां ।
- वि व 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय दलों ने सबसे अधिक संपत्ति **एफडीआर/जमा** के अंतर्गत **रु 183.442 करोड़** घोषित किया है । जो सभी दलों द्वारा घोषित संपत्ति का **42.53%** है ।
- वि व 2015-16 के दौरान सभी राष्ट्रीय दलों ने **अन्य संपत्ति** के अंतर्गत **रु 1605.114 करोड़** की संपत्ति घोषित की है जो दलों द्वारा विभिन्न प्रमुखों के तहत कुल घोषित संपत्ति का **59%** है ।
- यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है की संपत्ति के वर्ग में केवल **निवेश** में ही कटौती है । वि व 2004-05 के दौरान सभी राष्ट्रीय दलों ने कुल **रु 16.936 करोड़** का निवेश किया था पर वि व 2015-16 में दलों ने केवल **रु 4.018 करोड़** का ही निवेश किया है ।




राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित देनदारियों: वि व 2004-05 से 2015-16

- सात राष्ट्रीय दलों ने वि व 2004-05 के दौरान कुल **₹ 47.77 करोड़** की देनदारी घोषित की है जो प्रति दल औसत **₹ 6.82 करोड़** थी। सीपीएम ने सबसे अधिक देनदारी **₹ 20.285 करोड़** घोषित किया है इसके बाद **भाजपा**, जिसकी देनदारी **₹ 14.298 करोड़** है।
- यहाँ पर देखा गया है की दलों के कुल देनदारियों में वि व 2008-09 (**₹ 134.429 करोड़**), वि व 2011-12 (**₹ 145.844 करोड़**) और वि व 2014-15 (**₹ 387.639 करोड़**) की वृद्धि देखी गई है।



*The balance sheet of BSP for the FY 2006-07 is unavailable in the public domain


- राष्ट्रीय दलों ने **वि व 2015-16** के दौरान **₹ 383 करोड़** की देनदारियां घोषित की हैं जिसकी प्रति दल औसत **₹ 54.71 करोड़** है। कांग्रेस ने सबसे अधिक **₹ 329.43 करोड़** और भाजपा ने **₹ 24.99 करोड़** की देनदारियां घोषित की है।
- सीपीएम ही एक ऐसी पार्टी है जिसके देनदारियों में कमी देखी गयी है। पार्टी का वि व 2004-05 में **₹ 20.285 करोड़** था जो वि व 2015-16 में **₹ 5.14 करोड़** ही है।



- राष्ट्रीय दलों द्वारा देनदारियों में घोषित दो मुख्य प्रमुख : उधार राशियाँ (बैंकों, ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ और विविध ऋणदाताओं से) और अन्य ऋण ।
- वि व 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय दलों ने सबसे अधिक देनदारी अन्य ऋण में रु **31.43** करोड़ घोषित किया था । वि व 2015-16 के दौरान दलों ने सबसे अधिक देनदारी उधार राशियों में रु **333.14** करोड़ घोषित किया है ।
- सीपीएम पार्टी ने केवल वि व 2010-11 में ही देनदारी के प्रमुखों के अंतर्गत उधार राशियों में रु **44.70** लाख घोषित किया है और अन्य **11** वर्षों में दल ने उधार राशियों में शून्य घोषित है । वि व 2015-16 में अन्य देनदारियों की राशि रु **5.14** करोड़ है ।
- वि व 2014-15 के दौरान कांग्रेस ने सबसे अधिक राशि देनदारियों के अंतर्गत उधार राशियों रु **327.54** करोड़ घोषित किया है ।

राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कैपिटल (पूंजी) : वि व 2004-05 से 2015-16

- राष्ट्रीय दलों का कैपिटल राशि वि व 2004-05 में रु **383.56** करोड़ था जो बढ़कर वि व 2015-16 में रु **2336.17** करोड़ हो गया है ।
- वि व 2015-16 में भाजपा ने सबसे अधिक कैपिटल राशि रु **868.889** करोड़ उसके बाद बसपा ने रु **557.38** करोड़ तथा सीपीएम ने रु **432.64** करोड़ घोषित किया है ।
- वि व 2004-05 से 2015-16 के बीच भाजपा के रिज़र्व फण्ड में 700% की वृद्धि, कांग्रेस की 169% और सबसे अधिक इजाफा तृणमूल कांग्रेस की 13447% तथा बसपा की 1194% है ।



एडीआर के अवलोकन और सिफारिशें

अवलोकन

1. आईसीएआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, दलों ने जो ऋण वित्तीय संस्थाओं और बैंकों/एजेंसीयों से लिया है उसका विवरण ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। इन दिशानिर्देशों में यह भी वर्णित किया है कि जो ऋण दलों ने लिया/दिया है, उनके वापसी/भुगतान की समय-सीमा की जानकारी भी देना होता है (जैसे वापसी एक साल के अंतर्गत, एक से पांच साल के बीच या पांच साल के बाद)- राष्ट्रीय दलों ने यह जानकारी घोषित नहीं किया है।
2. दलों को दान के रूप में प्राप्त अचल सम्पत्ति का मूल लागत, अतिरिक्त या कटौती, निर्माण की लागत आदि का विवरण देना होता है। दलों से खरीदी गयी अचल सम्पत्ति का भी विवरण देना चाहिए - यह जानकारी सभी राष्ट्रीय दलों ने नहीं दी है।
3. दलों द्वारा कुल ऋण का 10% या उससे अधिक नकद या अन्य प्रकार से दिया गया ऋण का ब्यौरा घोषित करना होता है और साथ ही साथ दी गयी राशि का वजह भी देना होता है - राष्ट्रीय दलों ने ये जानकारी घोषित नहीं की है।
4. दलों के आय, व्यय और सम्पत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने आईसीएआई को दिशानिर्देश तैयार करने की अनुरोध किया, लेकिन यह दिशानिर्देश कागज़ों तक ही सिमित रह गए। दलों ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में इन दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया है।
 - दानदाताओं के पूरा विवरण और उनके क्षेत्रवार वर्गीकरण (जैसे व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों /अन्य) का प्रकटीकरण - राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में वर्गीकरण नहीं किया गया है।
 - कूपन का वर्गीकरण की जानकारी भी अलग अनुबंध के रूप में दलों को जमा करना चाहिए - राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में वर्गीकरण नहीं किया गया है।

सिफारिशें

1. हर तीन साल में ऑडिटर का बदलाव :
 - a. अगस्त 29TH, 2013 में [Companies Act, 2013](#) में ऐसा संशोधन लाया गया जहा पर कंपनियों को हर पांच साल में अपने ऑडिटर बदलने हैं। लेकिन यह नियम दलों पर लागू नहीं है। इसके कारण, जब एक ही फर्म/ऑडिटर दलों का ऑडिट कई सालों से करते हैं तो दलों के वित्तपोषण को अपारदर्शी करने में आसानी होती है।
 - b. हमारे देश में कानूनी तौर पर विदेशी ऑडिटिंग फर्म को भारत में संचालित करने की अनुमति नहीं है मगर भारतीय फर्म उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। ऐसे साथ काम करने वाले भारतीय फर्मों को दलों का ऑडिटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से विदेशी फर्म को भारतीय दलों की अंदरूनी एकाउंटिंग की जानकारी मिल सकती है।
 - c. राजनीतिक दलों के खातों को बनाये रखने के लिए, 255 वें कानून आयोग की रिपोर्ट ने यह सिफारिश की है कि **CAG** के पैनल से योग्य और अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट ही नियुक्त करें। वर्तमान में राजनीतिक दल स्वयं ही ऑडिटर का चयन करते हैं इसलिए इसे बदलने कि जरूरत है।
 - d. राजनीतिक दलों के आय और व्यय विवरण का मूल्यांकन शायद ही कभी किया जाता है। प्रस्तुत खातों कि प्रमाणिकता संदेहास्पद है। जब भी प्रमाणिकता सत्यापित नहीं होती हैं तो, जो भी ऑडिटर ने विवरण तैयार किया है उसे दंडित करना चाहिए। आईटीआर को आनलाइन जमा करने के साथ साथ दलों कि आय, व्यय, सम्पत्ति और देनदारियों का विवरण भी

उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार, आईटी विभाग में राजनीतिक दलों कि वित्तीय संबंधी जानकारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध होगी। राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वार्षिक जाँच होनी चाहिए।

- e. 170 वें कानून आयोग रिपोर्ट ने आर पी अधिनियम में धारा 78ए की प्रस्तावना कि सिफारिश की है जिसके दौरान समय पर खातों को न जमा करने वाले दोषी राजनीतिक दलों पर करवाई की जाएगी। इसे लागू करने की जरूरत है।

अस्वीकरण

रिपोर्ट में इस्तेमाल सभी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजनीतिक दलों के पेज से लिया गया है

http://eci.nic.in/eci_main1/PolPar/annualauditreport.aspx

रिपोर्ट बनाते समय सुचना का पूर्ण ध्यान रखा गया है। यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए ऑडिट रिपोर्ट का विवरण ही ठीक माना जायेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म, नेशनल इलेक्शन वाच और उनके स्वयंसेवक जिम्मेदार नहीं होंगे।

सम्पर्क विवरण

Media and Journalist Helpline: +91 80103 94248, Email: adr@adrindia.org

Ms Ujjaini Halim Coordinator – West Bengal Election Watch 033-24836491 98302 99326 bipimse@cal.vsnl.net.in ujjainihalim@gmail.com	Maj. Gen Anil Verma (Retd.) Head - NEW/ADR +91 11 4165 4200 +91 88264 79910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd.) Founder Member- NEW/ADR +91 99996 20944 jchhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder Member- NEW/ADR +91 94483 53285 trilochans@iimb.ernet.in
--	---	---	---